न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 13/2022 (मैन्यूअल) 2022/21 (GCMS)

अपीलांटगण

1. रामसिंह पुत्र सांगाराम उर्फ सांगसिंह
2. चन्द्रवीरसिंह पुत्र सांगाराम उर्फ सांगसिंह
3. दामोदरसिंह पुत्र सांगाराम उर्फ सांगसिंह
4. लीला देवी पत्नी सांगाराम उर्फ सांगसिंह सर्वे जातियान रावणा राजपूत निवासीयान मूलाना तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।
5. चन्द्रा पुत्री सांगाराम उर्फ सांगसिंह पत्नी गणपतसिंह
6. गजों पुत्री सांगाराम उर्फ सांगसिंह पत्नी शैतानसिंह
7. मगी पुत्री सांगाराम उर्फ सांगसिंह पत्नी पृथ्वीसिंह
8. नजरों पुत्री सांगाराम उर्फ सांगसिंह पत्नी कल्याणसिंह सर्वे जातियान रावणा राजपूत निवासीयान सीतोड़ाई तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर
9. धापु पुत्री सांगाराम उर्फ सांगसिंह पत्नी शैतानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी तालरिया पाड़ा जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. उम्मेदसिंह पुत्र सुजानसिंह
2. जेठी पत्नी सुजानसिंह
3. देवीसिंह पुत्र सुजानसिंह
4. भेरसिंह पुत्र सुजानसिंह
5. शिवदानसिंह पुत्र सुजानसिंह
6. शैतानसिंह पुत्र सुजानसिंह सर्वे जातियान रावणा राजपूत निवासीयान मूलाना तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर
7. कमला पत्नी सुजानसिंह पत्नी हरिसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कोठा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर
8. घनश्यामसिंह पुत्र हड़ोतसिंह
9. नारायणसिंह पुत्र हड़ोतसिंह
10. प्रयागसिंह पुत्र हड़ोतसिंह फौत के कायम मुकाम–
    10/1 मीरा देवी पत्नी स्व. प्रयागसिंह
    10/2 गोरखसिंह पुत्र स्व. प्रयागसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीयान मूलाना तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर
    10/3 सुगनी कंवर पुत्री स्व. प्रयागसिंह पत्नी पदमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी जाजिया तहसील व जिला जैसलमेर हाल निवासी जैसलमेर
11. सीमा पुत्री जुगतसिंह पत्नी जयसिंह निवासी गांव गोरड़िया तहसील शिव जिला बाड़मेर
12. तनेरावसिंह पुत्र तुलछसिंह
13. महावीरसिंह पुत्र तुलछसिंह
14. स्वरूपसिंह पुत्र तुलछसिंह सर्वे जातियान रावणा राजपूत निवासीयान मूलाना तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर
15. कमला पुत्री तुलछसिंह पत्नी रामसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बलाई तहसील शिव जिला बाड़मर
16. गुड्डी उर्फ आशा पुत्री तुलछसिंह पत्नी प्रतापसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी जाजिया तहसील व जिला जैसलमेर
17. भूमिधारी तहसीलदार फतेहगढ़

अधिवक्ताः–

1. श्री पूंजराज सिंह अपीलांटगण की ओर से
2. श्री हेमसिंह रेस्पोडेण्टगण की ओर से

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
प्रकरण संख्या – अपील 13/2022 (मैन्यूअल) 2022/21 (GCMS)

दिनांकः– 11.03.2026

–::निर्णय::–

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नामान्तकरण संख्या 309 ग्राम मुलाना तहसील फतेहगढ़

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 309 ग्राम मूलाना, जो तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान तहसील फतेहगढ द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा संख्या 818 रकबा 58–08 बीघा, खसरा संख्या 820 रकबा 69–15 बीघा कुल रकबा 128–03 बीघा सरहद मूलाना पटवार हल्का मूलाना तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर में अपीलार्थी के पिता/पति सांगाराम के नाम भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग द्वारा विक्रम संवत 2021 आसामी वर्ग बतौर खातेदार सांगाराम पुत्र कालूराम कौम दरोगा साकिन देह खातेदार अंगुष्ठ निशान के साथ सांगाराम के नाम भूमि आवंटन की पर्चा खतौनी बनी। पर्चा खतौनी से लेकर आज दिन तक अपीलांट व उसके परिवार का बतौर खातेदार कब्जा काश्त अपीलांटगण का है। अपीलांटगण स्व. सांगाराम उर्फ सांगसिंह के विधिक वारिसान है। सांगाराम उर्फ सांगसिंह के देहान्त के बाद अपीलांटगण अपने पिता/पति के नाम की खातेदारी भूमि का नामान्तकरण व राजस्व रेकर्ड में अपना नाम अमलदरामद नहीं करवा सकें। अपीलांटगण द्वारा जब हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड व खातेदारी भूमि के संबंध में जानकारी चाही व राजस्व रेकर्ड, जमाबन्दी व पर्चा खतौनी की नकले प्राप्त करने पर अपीलांटगण को जानकारी हुई कि उनके पिता की खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेंटगण ने फर्जी तरीके से धोखाधड़ी के आशय से षडयंत्र पूर्वक कुटरचित दस्तावेज का सहारा लेकर बिना किसी अधिकार के गलत तौर से एक नामान्तकरण संख्या 309 तथाकथित राजस्व कैम्प मूलाना दिनांक 16.06.1992 का झूठा हवाला हेकर पारित करवा दिया। रेस्पोडेण्टगण द्वारा गलत तरीके से फर्जीवाड़े से राजस्व कैम्प का हवाला देकर गलत तौर से अपीलांटगण के पिता/पति के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्टगण द्वारा अपने नाम करवाने में विधि विरूद्ध रूप से कामयाब हुए है। अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया कि तथाकथित राजस्व कैम्प के हवाले से भरे गये फर्जी नामान्तकरण प्रकिया का न तो कोई दस्तावेज है और न ही किसी प्रकार की पत्रावली है तथा न ही रेस्पोडेण्टगण खातेदारी भूमि धारक सांगाराम उर्फ सांगसिंह के विधिक वारिसान है। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 309 व उसके प्श्चात् रेस्पोडेंटगण जिनके स्वयं के नाम से म्यूटेशन भरा गया था तत्पश्चात् म्युटेशन संख्या 309 में दर्ज व्यक्तियों की मृत्यु हुई तो आगे से आगे फौतेदगी नामान्तकरण सख्या 314, 454 व 880 व अपील के निस्तारण से पूर्व स्वीकृत नामान्तकरण को निरस्त किये जाने तथा खसरा संख्या 818 रकबा 58–08 बीघा, खसरा संख्या 820 रकबा 69–15 बीघा कुल रकबा 128–03 बीघा सरहद मूलाना पटवार हल्का मूलाना तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर का राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेण्ट के नाम हटाकर अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर कथन किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के संबधं में जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अपील नामान्तकरण संख्या 309 दिनांक 16.06.1992 के विरूद्ध करीब 30 वर्षो के पश्चात् पेश की गई है, जिस कारण अपील म्याद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ़ के समक्ष उक्त कृषि भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का काउंटर क्लेम/दावा किया गया है, जिसका अनुतोष व उक्त अपील का अनुतोष एक समान है, इस कारण एक अनुतोष से संबंधित दो वाद कानूनन नहीं चल सकते है। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि खेत खसरान संख्या 818 रकबा 58.08 बीघा, खसरा संख्या 820 रकबा 69.15 बीघा कुल रकबा 128.03 बीघा सरहद ग्राम मूलाना पटवार हल्का मूलाना तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर में अपीलॉट के पिता सांगाराम के अंगूष्ठ निशान के साथ पर्चा खतौनी नहीं बनी, वल्कि विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 818, 820 के खातेदारी अधिकार ठिकानेदार श्री मुकनाराम,

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 13/2022 (मैन्यूअल) 2022/21 (GCMS)

अचलाराम वगैरा द्वारा सेटलमेण्ट से पूर्व कालूराम जी उर्फ कालूसिंह के परिवार के कर्ता सांगाराम उर्फ सांगसिंह वल्द कालूराम हिन्दू संयुक्त परिवार की हैसियत से सृजित किये गये थे और रेकर्ड में सांगाराम उर्फ सांगसिंह वल्द कालूराम क नाम बहैसियत खातेदार हिन्दू संयुक्त परिवार कर्ता के रूप में दर्ज किया गया। स्व. कालूराम उर्फ कालूसिंह के पांच पुत्र कमशः हडौत सिंह, सांगसिंह, सुजानसिंह, मोतीसिंह एवं हमीरसिंह है। मोतीसिंह पुत्र स्व कालूराम के द्वारा गोद चले जाने के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं रहता है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 818 व 820 अपीलॉट व रेस्पोडेण्ट्स की पुश्तैनी कृषि भूमि होने से कालूराम जी के वारिसान का बराबर–बराबर हक हिस्सा कब्जा–काश्त प्रारम्भ से उक्त कृषि भूमि पर रहा। स्व० कालूराम के पुत्र सांगाराम द्वारा अपने जीवनकाल में सहमति से राजस्व केम्प मूलाना दिनांक 16.06.1992 को अपने भाईयों का नाम हिस्सा अनुसार दर्ज करवाया गया, जो नामान्तरण संख्या 309 हैं। उक्त नामान्तरण के पश्चात् स्व. कालूराम के वारिसान हडौतसिंह, सांगसिंह, सुजानसिंह, हमीरसिंह द्वारा अपने–अपने हिस्सा की 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 बराबर–बराबर काश्त करते आ रहे हैं। जिनकी समय–समय पर जमाबंदी, गिरदावरी जारी होती रही है। स्व. कालूराम के पुत्र हडौतसिंह, सुजानसिंह की मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये हैं। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि पर अपीलॉट के साथ–साथ रेस्पोडेण्ट्स भी अपने हिस्सा अनुसार काबिज हैं। सांगाराम की मृत्यु वर्ष 2020 में होने के पश्चात् उनके वारिसान द्वारा उक्त अपील झूठे आधारों पर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि अपीलॉट द्वारा पेश अपील स्व. सागाराम ने पूर्ण सहमति के साथ नामान्तरण संख्या 309 दर्ज करवाया। स्व. सांगाराम को नामान्तरण संख्या 309 की पूर्ण जानकारी थी। स्व. सांगाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि व अपने भाई हमीरसिंह की हिस्सा की 1/4 कृषि भूमि पर एस०बी०बी०जे० शाखा चांदन से के.सी.सी. का ऋण भी प्राप्त किया, उक्त बैंक के पक्ष में दिनांक 03.10.2012 को हमीरसिंह व सांगाराम के हिस्से की कृषि भूमि का रहन उप पंजीयक जैसलमेर में पंजीबद्ध हैं। रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त अपील को खारिज कर रेस्पोडेण्टस के पक्ष में आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है। अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के द्वारा पेश जवाब अपील में उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का जवाबुलजवाब प्रस्तुत पेश कर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब में उठाई गई आपत्तियों को निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए नामान्तकरण संख्या 309 दिनांक 16.06.1992 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त अपील नामान्तकरण संख्या 309 दिनांक 16.06.1992 के विरूद्ध करीब 30 वर्षो के पश्चात् पेश किये जाने से म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर कथन किया कि अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के संबंध में अपील का निस्तारण गुणावगुण कर किये जाने का विनिश्चय कर अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के संबंध में प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 22.10.2025 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अपीलांटगण की पुश्तनी कब्जा काश्तसुदा भूमि जो वर्तमान खसरा संख्या 818 में 58–08 बीघा एवं खसरा संख्या 820 में 69–15 बीघा कुल रकबा 128–03 बीघा ग्राम मूलाना तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर में आई हुई है उक्त भूमि अपीलांटगण के पिता की समरी में दर्ज थी, उसके बाद उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट से उनके नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा उसके बाद लगातार अपीलांटगण के पिता के नाम ही खातेदारी दर्ज रही। जिसमें अपीलांट द्वारा दो ट्यूबवेल खुदवाये गये है जो वर्तमान में चालू है। उक्त नामान्तरकरण जिस आदेश से संबंधित होकर स्वीकृत हुआ। उक्त आदेश के अभाव में यह नामान्तकरण प्रभावहीन व शुन्य है। संवत् 2012 से अपीलांटगण को प्रथम पर्चा लगान समरी सेटलमेंट, खसरा बंदोबस्त व पट्टा अपीलांटगण के पिता सांगसिंह के नाम से ही जारी हुआ था तथा सांगसिंह के जो भाई बालिग थे, उनके नाम से समरी अलग से दर्ज हुई और वर्तमान में उस भूमि में केवल उनके ही वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अपीलांट का कथन है कि किसी खातेदारी भूमि में विधिसम्मत रूप से रजिस्ट्री, गोदनामा, हकतर्क, बख्शीश एवं वसीयत के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है, लेकिन रेस्पोडेण्ट द्वारा कुटरचित तरीके से अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि में गलत रूप से प्रवेश या एन्ट्री की गई है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 309 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

प्रकरण संख्या – अपील 13/2022 (मैन्यूअल) 2022/21 (GCMS)

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट वक्त बहस अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के संबंध में प्रस्तुत जवाब में कथन किया है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 818 एवं 820 के खातेदारी अधिकार ठिकानेदार श्री मुकनाराम, अचलाराम वगैरा द्वारा सेटलमेण्ट से पूर्व कालूराम जी उर्फ कालूसिंह के परिवार के कर्ता सांगाराम उर्फ सांगसिंह वल्द कालूराम हिन्दू संयुक्त परिवार की हैसियत से सृजित किये गये थे और रेकर्ड में सांगाराम उर्फ सांगसिंह वल्द कालूराम के नाम बहैसियत खातेदार हिन्दू संयुक्त परिवार कर्ता के रूप में दर्ज किया गया। उक्त भूमि अपीलॉट व रेस्पोडेण्ट्स की पुश्तैनी कृषि भूमि होने से कालूराम जी के वारिसान का वरावर–वरावर हक हिस्सा कब्जा–काश्त प्रारम्भ से उक्त कृषि भूमि पर रहा। स्व० कालूराम के पुत्र सांगाराम द्वारा अपने जीवनकाल में सहमति से राजस्व केम्प मूलाना दिनांक 16.06.1992 को अपने भाईयों का नाम हिस्सा अनुसार दर्ज करवाया गया, जो नामान्तरण संख्या 309 हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्ष की वहस एवं रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत जवाव का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। विवादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से सांगाराम पुत्र कालूराम के नाम दर्ज रही है। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपने जवाव में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। विवादग्रस्त भूमि के खातेदार सांगाराम द्वारा अपनी सहमति से राजस्व कैम्प मूलाना में अपने भाईयों के नाम हिस्सा दर्ज करवाये जाने का कथन रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा किया गया है परन्तु आलोच्य नामान्तकरण में आपसी सहमति से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। आलोच्य नामान्तकरण जिस आदेश पर खोला गया है, वह आदेश किसके द्वारा एवं किस संबंध में पारित किया गया है, कि स्थिति अस्पष्ट है। आपसी सहमति से किसी की खातेदारी भूमि में किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज किये जाने के संवध में राजस्व नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तथा न ही इस प्रकार की शक्तियॉ राजस्व अधिकारियों को प्रदत है। खातेदारी भूमि में किसी व्यक्ति का नाम बैचान दस्तावेज, गिफ्ट डीड, वसीयत आदि दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया जा सकता है, परन्तु आलोच्य नामान्तकरण में इस प्रकार का कोई दस्तावेज निस्पादित होना रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य नामान्तकरण संदेहास्पद एवं विना किसी दस्तावेज के आधार पर खोला जाना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से लेकर आलोच्य नामान्तकरण खोले जाने तक अपीलांटगण के पिता/पति के नाम दर्ज रही है। आलोच्य नामान्तकरण में विवादग्रस्त भूमि के खातेदार सांगाराम द्वारा भूमि किसी के पक्ष में बैचान, गिफ्ट, वसीयत अथवा हस्तान्तरित किये जाने के कोई विधिक दस्तावेज जो निष्पादित किये गये हो, ऐसे कोई भी दस्तावेज रेस्पोडेण्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचित स्थिति के आलोक में न्यायालय निष्कर्ष में आलोच्य नामान्तकरण संख्या 309 दिनांक 16.06.1992 विधि विरूद्ध तरीके से खोला जाकर अपीलांटगण के साथ रेस्पोडेण्टगण के नाम का इन्द्राज किये जाना पाये जाने से आलोच्य नामान्तकरण निरस्त किया जाना न्यायोचित होने से **ग्राम मूलाना तहसील फतेहगढ़ के नामान्तकरण संख्या 309 दिनांक 16.06.1992 एवं पश्चातवर्ती खोले गये समस्त नामान्तकरण को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, फतेहगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि विवादग्रत भूमि के स्वामित्व संबंधी पूर्ण जॉच एवं विधिक साक्ष्य/दस्तावेज प्राप्त कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे।** उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर

जिला कलेक्टर

जैसलमेर